भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश

राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल-17
E-mail:bsgmp@sancharnet.in & bsandg_mp@sify.com, Website:bsgmp.org Tel 2661263, 2737446

क्रमांक/9971/रा.मु./आडिट/लेखा/2014 भोपाल, दिनांक 14 .07.14

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
पदेन
जिला कमिश्नर (स्काउट)
जिला देवास म.प्र. ।

विषयः- स्काउट/गाइड निधि का अंकेक्षण ।

सन्दर्भः- (1) संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र/शा.शि./ई/69/2001 ।
(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2765 दिनांक 01.08.13 ।

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि आपके जिला संघ के अर्न्तगत आने वाली समस्त शासकीय/आशासकीय शालाओं एवं विकास खण्डों की स्काउट/गाइड निधि के अंकेक्षण हेतु राज्य मुख्यालय का **संपरीक्षा दल** दिनांक **19 अगस्त 14** को पहुँच रहा है । अंकेक्षण कार्य हेतु आपसे निम्न अपेक्षाएँ हैं :

1. जिला **देवास** के समस्त ब्लाक संघ की स्काउट/गाइड निधि के अंकेक्षण एवं उनके अन्तर्गत आने वाली शासकीय/अशासकीय शालाओं के लेखा-अभिलेख का अंकेक्षण किया जाना है ।
2. उपरोक्त आशय के आदेश सभी संकुल प्राचार्य एवं बी.ई.ओ. को प्रसारित करे, कि निर्दिष्ट स्थान पर ब्लाक के अर्न्तगत आने वाली शॉलाए तिथिवार आडिट के लिए उपस्थित हो एक ब्लाक के अंकेक्षण हेतु अधिकतम समय-सीमा चार कार्य दिवस रहेगी । अतः विकासखण्ड अन्तर्गत आने वाली शालाए दिनवार उपस्थित होने हेतु निर्देश देवें ।
3. जिन शालाओं ने विधिवत पंजीयन, कोटामनी, एवं अंशदान नियमानुसार जमा नहीं किया गया है । वे अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अंकेक्षण शिविर में आवश्यक रुप से जमा कराये । ड्राफ्ट/नगद राशि एकत्र करने हेतु आपके जिला संघ में कार्यरत जिला सचिव/जिला संगठक की सेवाए उपलब्ध कराने का कष्ट करें । उपरोक्त समस्त स्काउट शुल्क के बैंक ड्राफ्ट/नगद जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला कमिश्नर (स्काउट) के नामित होगे । उपरोक्त आशय के आवश्यक निर्देश जारी कर सूचना कार्यालय भारत स्काउट एवं गाइड को भेजने की व्यवस्था करें । उक्त कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करना हो तो यथासमय सूचित करें ।

संलग्न : कार्यक्रम का प्रारुप

राज्य सचिव

पृक्रमांक/ 9972/रा.मु./आडिट/लेखा/2014 भोपाल, दिनांक 14 .07.14

<u>प्रतिलिपि</u> : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. **आयुक्त** लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
2. **संयुक्त संचालक** लोक शिक्षण, उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
3. **सहायक राज्य संगठन आयुक्त -स्काउट,** भा. स्काउट एवं गाइड म.प्र., क्षेत्रीय कार्यालय **उज्जैन** की ओर भेजकर लेख है कि अंकेक्षण दल को अंकेक्षण के कार्य में सहयोग प्रदान करें ।
4. **जिला सचिव, देवास** की ओर भेजकर लेख है कि अंकेक्षण दल को अभिलेख सहित अंकेक्षण के कार्य में सहयोग प्रदान करें ।
5. **लेखाधिकारी** भा.स्काउट एवं गाइड म.प्र.,राज्य मुख्यालय भोपाल की ओर ।
6. **मो.जफर कुरैशी- अंकेक्षक** भा.स्त स्काउट एवं गाइड म.प्र.,राज्य मुख्यालय भोपाल की ओर भेज कर लेख है कि अंकेक्षण दल में श्री एस.आर.सैनी एवं श्री रवि यादव के साथ जिला **देवास** की स्काउट/गाइड निधि का अंकेक्षण कार्य सम्पादित करें ।
7. **स्थापना शाखा,** भा.स्काउट एवं गाइड म.प्र.,राज्य मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

राज्य सचिव

कर्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला कमिश्नर
स्काउट
जिला – देवास

ज्ञा.क्र./ /जि.शि./स्का.गा./आडिट/14 देवास, दिनांक . .2014

प्रति,

(1) समस्त संकुल प्राचार्य .... जिला देवास ।

(2) समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी
जिला - देवास

(3) समस्त शासकीय/अशासकीय हाईस्कूल/उ.मा.वि./
माध्यमिक विघालय/प्राथमिक विद्यालय
जिला - देवास

विषय : स्काउट निधि का अंकेक्षण कराये जाने बाबत् ।

संदर्भ : संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र./शा.शि./ई./69/2000-01 ।

****

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों एवं विषयान्र्तगत लेख है कि आपके ब्लाक के अन्तर्गत आने वाली समस्त शासकीय/अशासकीय शालाओं एवं विकास खण्ड कार्यालय की स्काउट/गाइड निधि का अंकेक्षण राज्य मुख्यालय भोपाल के अंकेक्षण दल द्वारा सम्पादित किया जाना है । इस कार्य में समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त संकुल प्राचार्य एवं संस्था प्रधान आवश्यक सहयोग प्रदान करें । अंकेक्षण कार्यक्रम ब्यौरा निम्नवत् है : -

क्रमांक	ब्लाक का नाम	अंकेक्षण की दिनांक	स्थान
(1)	विकास खण्ड देवास	दिनांक 19 से 23 अगस्त 14	(निर्धारित कर सूचित करें)
(2)	विकास खण्ड बागली	दिनांक 25 से 30 अगस्त 14	(निर्धारित कर सूचित करें)
(3)	विकास खण्ड टोकखुर्द	दिनांक 02 से 06 सितंबर 14	(निर्धारित कर सूचित करें)
(4)	विकास खण्ड सोनकच्छ	दिनांक 10 से 13 सितंबर 14	(निर्धारित कर सूचित करें)
(5)	विकास खण्ड कन्नौद	दिनांक 15 से 19 सितंबर 14	(निर्धारित कर सूचित करें)
(6)	विकास खण्ड खातेगांव	दिनांक 22 से 25 सितंबर 14	(निर्धारित कर सूचित करें)

<u>नोट : -प्रथम दो दिवस हाई/हायर सेकण्डरी 1990 से आज तक का रिकार्ड - शेष दिवस माध्यमिक/प्राथमिक शालाए 1990 से 2009 तक रिकार्ड लेकर उपस्थित होंवे ।</u>

उपरोक्त अंकेक्षण कार्यक्रमानुसार संकुल प्राचार्यो का यह दायित्व रहेगा कि उपरोक्त निर्दिष्ट दिनांको पर संकुल की समस्त शालायें अंकेक्षण दल के समक्ष निर्धारित स्थान पर उपस्थित हो । कौन से स्कूल किस दिनांक को उपस्थित रहेगा । इसकी व्यवस्था विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निर्देशो पर आधारित होगी ।

अंकेक्षण दल हेतु निम्नानुसार आवश्यक अभिलेख लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है । 1. वर्ष 1990 से केशबुक 2. व्हाउचरर्स 3. पासबुक 4. जमा स्लिप 5. स्टाक रजिस्टर 6. रसीद बुक इत्यादी होंगे, साथ ही जिन शालाओं द्वारा स्काउट निधि से निर्दिष्ट शुल्क लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार प्रेषित नहीं किया है । ऐसी शालाए अंकेक्षण के दौरान उन पर निकलने वाले निर्धारित शुल्क अंकेक्षण शिविर में जमा कर विधिवत पावती प्राप्त करें । अन्यथा उन पर शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125(5) के उल्लंघन का दोषी माना जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी । जिसके लिए संस्था प्रधान स्वयं जिम्मेदार होगें ।

अशासकीय शिक्षण संस्थाओ द्वारा उपरोक्त शुल्क जमा न किये जाने की दशा में मान्यता की शर्तो का उल्लंघन मानकर उन्हें दोषी पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी । सभी शालाओं को आडिट में रिकार्ड सहित उपस्थित होना अनिवार्य है ।

जिला शिक्षा अधिकारी
पदेन
जिला कमिश्नर(स्का.) जिला - देवास

ज्ञा.क्र./ /जि.शि./स्का.गा./आडिट/14 विदिशा, दिनांक . .2014

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल की ओर ।

(2) राज्य सचिव, भारत स्काउट एवं गाइड भोपाल की ओर ।

(3) सहायक राज्य संगठन आयुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड उज्जैन की ओर

(4) जिला सचिव/कोषाध्यक्ष, देवास आप अंकेक्षण दल के साथ रहकर शुल्क प्राप्त करें तथा अंकेक्षण कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

(5) जिला संगटक(स्काउट), देवास की ओर भेजकर लेख है कि आप अंकेक्षण दल के साथ रहकर शुल्क प्राप्त करें तथा अंकेक्षण में आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

(6) **मो.जफर कुरैशी- अंकेक्षक** भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय भोपाल की ओर भेज कर लेख है कि अंकेक्षण दल के साथ जिला **देवास** की स्काउट/गाइड निधि का अंकेक्षण कार्य सम्पादित करें । इस कार्य में श्री श्रीराम सैनी सहायक एवं श्री रवि यादव- सहायक के रुप में आपके निर्देशन में कार्य करेगे ।

नोट : समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अंकेक्षण दल की सम्पूर्ण व्यवस्था करें एवं अपने ब्लाक के अन्तर्गत आने वाली समस्त शासकीय/आशासकीय, प्राथमिक, मा.हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्ड्री शालाओं की संकुलवार निर्धारित तिथि में निर्धारित स्थान पर उपस्थित होने के निर्देश देवें ।

जिला शिक्षा अधिकारी
पदेन
जिला कमिश्नर(स्का.) जिला - देवास